सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 178/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :–28.08.2024

GCMS ID–2024/298

उनवान

1. ईश्वर सिंह आ0 हरजी जाति दरोगा निवासी मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. मुकुट सिंह आ0 हरजी जाति दरोगा निवासी मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. तेजकॅवर पुत्री हरजी जाति दरोगा निवासी मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. कजोडकॅवर पत्नी हंरजी जाति दरोगा निवासी मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. बालू आ0 गोविन्द जाति दरोगा निवासी मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. सोराज आ0 गोविन्द जाति दरोगा निवासी मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. कंचन पुत्री गोविन्द जाति दरोगा निवासी मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
8. खानी पुत्री गोविन्द जाति दरोगा निवासी मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरसिंह आ0 नवलसिंह जाति राजपूत निवासी मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।
2. कल्याण कॅवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।
3. राजस्थान राज्य जर्ये. तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री रामेश्वर प्रसाद रेगर

वकील अप्रार्थीगण :– श्री विजय माहेश्वरी अप्रार्थी सं0–1 व 2

आदेश

दिनांक : 22.05.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि खतौनी संख्या नई 9 पुरानी 11 की भूमि खसरा संख्या 419 रकबा 0.3809, खसरा संख्या 422 रकबा 0.4126 हैक्टेयर, खसरा संख्या 430 रकबा 0.5018 हैक्टेयर, खसरा संख्या 435 रकबा 0.3885 हैक्टेयर, खसरा संख्या 523/417 रकबा 0.0809 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.7644 हैक्टेयर वाके ग्राम मराडी पटवार मण्डल बाण्डीखेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण अपने खाते एवं हिस्से की भूमि पर काबिज हो कर काश्त करते चले आ रहे है और हर सालासाल फसल बाते जोते एवं काटते चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 2 कल्याण कंवर पत्नी

Email-sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

भंवरसिंह का उपरोक्त कृषि भूमि में 1/12 हिस्सा दर्ज है। मौके पर प्रार्थीगण अप्रार्थी सख्या 2 के खाते की भूमि पर मेडबंदी हो रही है जिनकी भूमियॉ अलग अलग है। उपरोक्त कृषिा भूमि प्रार्थीगणों को उनके पिता विरासत से प्राप्त भूमि में से 18 बिस्वा भूमि कल्याण कंवर को 35000 रूपये प्रतिफल में बैचान कर प्रतिफल की रकम में से 25000 रूपये नकद प्राप्त कर विक्रय पत्र का निष्पादन करवा दिया था। शेष राशि 10,000 रूपये बैचान के पंजीयन के उपरांत घर पर देने का वायदा किया था। घर पर जाने के उपरांत प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा तकाजा करने पर भी उन्हें उक्त राशि अदा नहीं की। अभी तक भी अप्रार्थी संख्या 2 ने क्रय की गई कृषि भूमि के प्रतिफल की शेष राशि 10,000 रूपये अदा नहीं किए है जिससे पक्षकारान के आपसी विवाद होने से उक्त बकाया राशि अदा नहीं करने के उद्धेश्य से अप्रार्थी संख्या 2 जिसकी विक्रय विषयक भूमि के अलावा अन्य भूमि भी है वह प्रार्थीगणों को उनके खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि पर आने जाने में व्यवधान पैदा कर उन्हे काश्त करने से रोक रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण के साथ जबरन दादागिरी के बल पर मारपीट कर प्रार्थीगणों के कब्जे काश्त की अन्य कृषि भूमि पर नहीं जा पा रही है और प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि का सही उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे है मौके पर प्रार्थीगण के खाते की भूमि में ही अप्रार्थी संख्या 2 कल्याण कंवर की भूमि है अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मिलकर प्रार्थीगणों एवं खाते की भूमि की पत्थरगढी नहीं करवा रहे है जिससे मौके पर दोनों पक्षों की कृषि भूमि पर काश्त करने के सम्बन्ध में अनावश्यक विवाद पैदा हो रहा है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही अपने खाते की कृषि भूमि पर काबिज काश्त है जब कि अप्रार्थी संख्या 2 को प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा बाद में कृषि भूमि का बैचान किया था। इस प्रकार प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के मूल खातेदार है जिनके खाते की भूमि ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पत्थरगढी करवाने से इन्कार कर मौके पर अनावश्यक विवाद पैदा कर रहे हैं जिससे प्रार्थीगण अपने खाते, कब्जे काश्त की कृषि भूमि का मौके पर सही उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26.06.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से मौके पर कब्जे के अनुसार उनके खाते, कब्जे काश्त की भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र क़ी चरण संख्या 1 में वर्णित अपने खाते, कब्जे काश्त की भूमि पर अपने खाते एवं कब्जे के अनुसार पत्थरगढी करवा कर अप्रार्थीगण को पाबंद फरमावे कि वह उनके शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे उन्हे उनकी खाते, कब्जे की कृषि ाूमि पर आने जाने, फसल बोने जाने से नहीं रोके। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 के खाते में दर्ज भूमि की मौके पर

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

पत्थरगढी होने से मौके पर होने वाले अनावश्यक विवाद समाप्त होगें और प्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त कर सकेगें। उपरोक्त कृषि भूमि वाके ग्राम मराडी हल्का बाण्डी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में होने से श्रीमान को इस प्रार्थना प. को सुनने के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर श्रीमान के समक्ष पेश है। उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार साहब हिण्डोली को भूमिधारी होने एवं तकमिली पक्षकार होने से अप्रार्थी बनाया गया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का मौके पर पत्थरगढी कर मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावें। पत्थरगढी के उपरांत प्रार्थीगण के खाते एवं हिस्से में मौके पर आने वाली भूमि पर प्रार्थीगणों को स्वतत्र रूप से काबिज कर उनके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने प्रार्थीगणों को उनके खाते, कब्जे की कृषि भूमि पर आने जाने से नहीं रोकने एवं मौके पर कोई व्यवधान पैदा नहीं करने लिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पाबंद फरमया जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए।

अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि वाके ग्राम मराडी में वर्णित भूमिया होना स्वीकार है, शेष स्वीकार नहीं है। उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 सहित इन्द्राकंवर पुत्री हरजी के संयुक्त स्वामित्व की भूमिया है जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 2 अपने हिस्से अनुरूप अपने स्वामित्व की भूमि को काश्त करती चली आ रही है। भूमिया संयुक्त स्वामित्व में दर्ज है। अलबत्ता सभी खातेदाराने अपने हिस्से के अनुसार काश्त करे रहे है। विवादित भूमियों में निहित प्रार्थीगण के पूर्वज हरजी के 1/6 हिस्से की भूमि में से 1/12 हिससे की भूमि अप्रार्थी संख्या 2 ने आज से करीब 15 वर्ष पूर्व जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 35,000 रूपये में क्रय की थी। क्रय करने के उपरान्त से अप्रार्थी संख्या 2 क्रय की गई भूमि पर पिछले 15 वर्षो से काश्त करती चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर भूमि विक्रय की कोई राशि बकाया नहीं है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 2 को क्रय की गई भूमि पर काश्त करने में आए दिन व्यवधान उत्पन्न करते है इसी कारण अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा किया जाने हेतु एक वाद कल्याणकंवर बनाम इन्द्राकंवर वगै अंतर्गत धारा 53 राज0टी0एक्ट वाद संख्या न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया हुआ है। जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार का कोई दखल नहीं

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

कर रहे है बल्कि प्रार्थीगण आए दिन अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से की भूमि को काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न करते है इसी कारण अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने हिससे की भूमि का विभाजन किऐ जाने हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद पेश किया हुआ है। विवादित भूमिया प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 2 व इन्द्राकंवर पुत्री हरजी के संयुक्त स्वामित्व की भूमिया है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भी संयुक्त स्वामित्व में दर्ज है। जब तक विवादित भूमियों का हिस्से अनुरूप बंटवारा नहीं हो जाता तब तक भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का अधिकार है इस कारण विवादित भूमियों की पत्थरगढी नहीं की जा सकती है। उक्त प्रार्थना पत्र में खातेदार इन्द्राकंवर को पक्षकार नहीं बनाया गया है। आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाए जाने के कारण प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। विवादित भूमिया प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 2 व इन्द्राकंवर के संयुक्त स्वामित्व की भूमिया है। जब तक विवादित भूमियों को पक्षकारान के मध्य विधि अनुरूप बंटवारा नहीं हो जाता तब तक संयुक्त स्वामित्व की भूमिंयों की पत्थरगढी नहीं की जा सकती है। उक्त कार्यवाही पेश करने सें पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 2 ने विवादित भूमियों का विधि अनुरूप बंटवारा किऐ जाने हेतु वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया हुआ है। संयुक्त स्वामित्व की भूमियों पर पत्थरगढी के प्रावधान नही है। प्रार्थीगण का ऐसा कथन नहीं है कि पडौसी काश्तकार संयुक्त स्वामित्व की भूमियों पर अतिक्रमण कर रहे है। प्रार्थीगण को संयुक्त स्वामित्व की भूमियों की पत्थरगढी करवाने का कोई अधिकार नहीं है। बंटवारे के बिना अभी किसी भी पक्ष का कोई हिस्सा, विशेष नहीं माना जा सकता है। विवादित भूमिया संयुक्त स्वामित्व की भूमिया है जिनका तब तक विधि अनुरूप बंटवार नहीं हो जाता पत्थरगढी नहीं की जा सकती है। बंटवारा हेतु अप्रार्थी संख्या 2 ने वाद पेश किया हुआ है, बंटवारा होने पर ही भूमिया अलग अलग स्वामित्व की हो सकती है। भूमियों की सीमा से संबंधित कोई विवाद नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज होने योग्य है। विवादित भूमिया प्रार्थीगण अप्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 2 व इन्द्राकंवर के संयुक्त स्वामित्व की भूमिया है जिनका जब तक विधि अनुरूप बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक पत्थरगढी नहीं की जा सकती है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक पक्षकारान को सुना गया। बहस वकील पक्षकारान मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र/जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम मराडी पटवार मण्डल बाण्डी का खेडा तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 9 के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 वादग्रस्त आराजी कीं रिकार्डेड सहखातेदार है। किन्ही पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रत्येक खातेदार का बिना बंटवारा कराये हुए भूमि के प्रत्येक इंच पर बराबर हक व अधिकार होता है। प्रार्थीगण जिस विवादित भूमि की पत्थगरगढी करवाना चाहते है वह सहखातेदारी की भूमि है जिस पर प्रत्येक पक्षकार का हिस्सा तय हुए बिना/बंटवारे बिना पत्थरगढी किया जाना विधि सम्मत नहीं है। प्रार्थीगण अपने सह खातेदार के विरूद्ध पत्थरगढी का अनुतोष चाहता है, जो कि दिया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सह–खातेदार के विरूद्ध पत्थरगढी करवाये जाने बाबत पोषणीय नहीं होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण उपर वर्णित तथ्यों अनुसार सह–खातेदार के विरूद्ध पत्थरगढी करवाये जाने बाबत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446